भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2202

02 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग का आधुनिकीकरण और विस्तार

2202. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछली राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार देश में इस्पात उद्योग पाँच वर्षों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरी की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कतिपय चुनौतियों का सामना कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश की वित्तीय मंदी ने इस्पात की नकारात्मक खपत को दर्शाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय 38 चालू लौह अयस्क खदानों के खनन पट्टे शीघ्र ही समाप्त होने जा रहे हैं और 'सेल' को 25 प्रतिशत वाणिज्यिक खनन दिया गया है जिससे संभवतः देश के इस्पात परिदृश्य को बढ़ावा मिल सकता है; और

(ङ) इस्पात क्षेत्र के विनिवेश के लिए सरकार की क्या नीति है और 'सेल' की सहायक कंपनियों के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम क्या हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क): दिनांक 08 मई, 2017 को अधिसूचित राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में स्वदेशी इस्पात क्षमता को वर्ष 2030-31 तक 300 एमटीपीए तक पहुँचाने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश की कुल इस्पात उत्पादन क्षमता 143.91 मिलियन टन है और 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024-25 तक 172.5 एमटी पहुँचने की उम्मीद हैं।

(ख) और (ग): वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान तैयार इस्पात की कुल खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

तैयार इस्पात की कुल खपत			
	2019-20	**2020-21**	**अप्रैल-जून 2021***
मात्रा (एमटी)	100.17	94.89	24.85
स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; एमटी=मिलियन टन			

(घ): 4 लौह अयस्क खानों के खनन पट्टे मार्च 2022 तक समाप्त हो जाएंगे।

खान मंत्रालय ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20क के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अपने कैप्टिव खदानों से पिछले वर्ष के कुल खनिज उत्पादन के अधिकतम 25% की समतुल्य मात्रा को दो वर्षों की अवधि के लिए वर्ष में एक बार खुले बाजार में बेचने और साथ-ही सेल की कैप्टिव खदानों के खदान निकास (पिटहेड) में पड़े उप-श्रेणी खनिजों को बेचने की अनुमति देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को दिनांक 16.09.2019 के आदेश के तहत निर्देश जारी किए हैं।

खान मंत्रालय ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021, जिसे दिनांक 28.03.2021 को अधिसूचित किया गया था, के द्वारा एमएमडीआर अधिनियम को संशोधित किया है। संशोधित अधिनियम की धारा 8क(7क) में यह प्रावधान है कि कोई भी पट्टेदार, जहाँ खनिज का प्रयोग खुद के उपयोग के प्रयोजनार्थ किया जाता है, अधिनियम की छठी अनुसूची के तहत विनिर्दिष्ट भुगतान के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से खान से संबद्ध एंड-यूज संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद वर्ष में उत्पादित कुल खनिज के 50% तक को बेच सकता है।

(ङ): केन्द्र सरकार की विनिवेश करने की नीति, जिसमें इस्पात क्षेत्र में विनिवेश भी शामिल है, वर्तमान में, सरकार द्वारा 04 फरवरी, 2021 को अधिसूचित, आत्मनिर्भर भारत हेतु नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति द्वारा प्रशासित होती है। सेलम, तमिलनाडु स्थित सेल की एकमात्र प्रचालन सहायक इकाई यानि सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल) के आधुनिकीकरण और विस्तार की कोई योजना नहीं है।

****